Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No.240/2026, Dandkhora P.S. Case No.- 143/2025
Panchanand Mandal v/s State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

B.P.No.-240/2026

Dandkhora P.S. Case No- 143/2025

1. पंचानन्द मंडल पिता श्री रामचन्द्र मंडल, उ0त0 35 वर्ष
निवासी ग्राम– तिलास, थाना– डंडखोरा,
जिला– कटिहार .....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार .....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री..... सत्यनारायण मंडल।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः 11.03.2026 आदेश

1. प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन दिनांक 28.02.2026 को दिनांक– 04.02.2026 से काराधीन आवेदक की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यनारायण मंडल द्वारा दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक विद्यानन्द मंडल ने थानाध्यक्ष, डंडखोरा थाना को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 20.12.2025 को समय करीब 1:00 बजे दिन में मेरा बड़ा बेटा पंचानन्द मंडल, पिंकी देवी मेरे घर पर आकर मुझे तथा मेरी पत्नी के गन्दा–गन्दा गाली देकर बोलने लगा कि घर से बाहर निकलो। आज तुम लोग को जान मार देंगे तथा इसी बीच पिंकी देवी मेरे घर के बाहर में लगा हुआ एक सी0सी0टी0वी0 कैमरा को ईंट का टुकड़ा चला कर तोड़ दिया। तब मैं घर से बाहर निकल कर बोलने लगा कि तुम लोग इस तरह से क्यों कर रहा है। इस पर पिंकी देवी मुझे जान मारने के नियत से ईंट का टुकड़ा चला कर मारने लगा। कई बार मेरा शरीर पर चोट लगा। लेकिन पिंकी देवी आज मेरा जान मारना चाहती थी। वह एक बड़ा सा इंट का टुकड़ा मेरा सर पर चला कर जोर से मार दिया, जिससे मेरा सर पर चोट लगा और मेरा सर गंभीर रूप से फट गया और काफी खून बहने लगा। और मैं जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। उसके बाद पंचानन्द मंडल मुझे लाठी से पीटने लगा। तब मैं रोने चिल्लाने लगा तो अगल बगल के लोग एवं मेरी पत्नी और बेटा सब आकर मेरा जान बचाया। तब उक्त दोनों वहां से भागते हुए धमकी दिया कि आज तो बच गया लेकिन किसी दिन तुम्हें जान मार देंगे, लेकिन मुझे जख्मी देख कर मेरा बेटा रतन कुमार मंडल और मेरी पत्नी मेरा ईलाज करवाने डंडखोरा पी0एच0सी0 लेकर आया। जैसे मेरा बेटा टेम्पु से मुझे बाहर निकालने लगा कि अचानक राहुल कुमार डंडखोरा पी0एच0सी0 के प्रांगन में ही मेरा बेटा रतन कुमार मंडल को फाईट मुक्का से मारने पीटने लगा तथा मेरा बेटा का जाकेट कमीज पकड़ कर फाड़ दिया। तब तक वहां मौजूद लोग मेरा बेटा को बचाया तब राहुल कुमार धमकी दिया कि हम तुम लोग को गोली मार देंगे। राहुल कुमार अपना बहन पिंकी देवी का पक्ष लेकर मारपीट किया।
3. नियमित जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यनारायण मंडल एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यनारायण मंडल द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक दिनांक 04.02.2026 से न्यायिक हिरासत में हैं। आवेदक की ओर से इसके पूर्व में अग्रिम जमानत संख्या– 36/2026 दाखिल किया गया था परन्तु इसी दौरान पुलिस द्वारा पकड़कर कारा भेज दिया गया, जिसके कारण दिनांक

04.02.2026 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन वापस ले लिया गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक और सूचक आपस में पिता–पुत्र है जिनमें पूर्व से भूमि विवाद चल रहा है, लोगों के बहकावे में आकर सूचक द्वारा झूठा केस कर दिया गया हैं। चिकित्सक की राय में जख्मी का जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है। आवेदक स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार है तथा वह धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत दिये गये शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदक को नियमित जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः यह नियमित जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि विद्यानन्द मंडल के लिखित आवेदन के आधार पर डंडखोरा थाना कांड संख्या– 143/2025 दिनांक 21.12.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 109, 351(2),(3), 352, 3(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 8, 9 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका 70 एवं 81 से विदित है कि अभियुक्तों के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। जख्मी विद्यानंद मंडल का जख्म चिकित्सक की राय में कठोर एवं कुंद पदार्थ से कारित किया गया, साधारण प्रकृत का पाया गया है। उभय पक्षों हस्ताक्षरित एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित सुलहनामा में कहा गया है कि उभय पक्ष आपस में पिता–पुत्र, पुत्रवधु एवं सगे–संबंधी है, दोनों पक्षों के बीच में ग्रामीण पंचों एवं शुभचिंतकों द्वारा आपस में सुलह करा दिया गया है जिससे अन्य लोगों को भी कोई विवाद एवं मतभेद नहीं रह गया हैं। इस प्रकार सूचक अभियुक्त पंचानन्द मंडल के पिता है एवं पिंकी देवी के ससुर है एवं राहुल कुमार के सनबाप है तथा कथित घटना की तिथि व समय को अभियुक्त अपने पिता विद्यानंद मंडल से केवल यह पूछने गया आप 6–7 कट्ठा जमीन दिये थे तो आप उसी जमीन को चुपके से किसी दूसरे के पास क्यों बेच दिये यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब जमीन खरीदने वाला जमीन का नापी करके जमीन पर ने निकला पंचानंद एवं पिंकी देवी पूछा कि जब आप हमलोगों को जमीन बांट कर दिये थे फिर दूसरे के पास कैसे बेच दिये इसी पर पिता पुत्र के बीच कहा सुनी हुआ।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा उभय पक्षों में हुए संधि तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक के कारावास की अवधि को देखते हुए जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक पंचानंद मंडल के नियमित जमानत आवेदन दिनांक 28.02.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10000/– रूपये तथा समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 480(3) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।